

प्ररूप- 2 ड.
(नियम 4 देखिए)
नामनिर्देशन-पत्र

2.20pm

परिषद् निर्वाचन क्षेत्र से बिहार (राज्य) की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन

(भाग 1)

हम बिहार (राज्य) की विधान परिषद् के निर्वाचन के लिए दरभंगा स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्देशित करते हैं :-

अभ्यर्थी का नाम ब्रह्मदेव सिंह (पिता/भ्राता/पति का -
नाम) स्व. कपिलदेव नारायण सिंह उसका डाक पता ग्राम - पीठ - शालीग्रामी
145 साहेबपुर कमाल उसका नाम ग्राम - साहेबपुर कमाल
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 187 में क्रम सं० 551 पर
प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम दरभंगा स्नातक परिषद् निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली सं०		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	दरभंगा स्नातक निर्वाचक नामावली की भाग सं०	उस भाग की क्रम सं०			
1	2	3	4	5	6
1	44	575	मुकुन्द कुमार चौधरी	मुकुन्द कुमार चौधरी	05/03/14
2	47	897	हेम चन्द्र सिंह	हेम चन्द्र सिंह	05/03/14
3	47	657	रामसेनक भागत	रामसेनक भागत	05/03/14
4	47	1030	उदय शंकर चौधरी	Uday Shankar Choudhary	05/03/14
5	42	353	ज्योति कृष्ण क	ज्योति कृष्ण क	05/03/2014
6	42	141	अशोक कुमार प्रियदर्शी	अशोक कुमार प्रियदर्शी	05/03/2014
7	80	36	अशोक कुमार चौधरी	अशोक कुमार चौधरी	05/03/2014
8	36	56	कुशवाहा कुमार	Kushwaha	5/3/14
9	41	517	विनय कुमार दास	Vinay Kumar Das	5/3/14
10	61	444	राजेश्वर मुखर्जी	Rajeshwar Mukherjee	5.7.14

प्रस्थापक निर्वाचक क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हो, होने चाहिए।
मैं उपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि:-

(क) मैंने 51 वर्ष वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

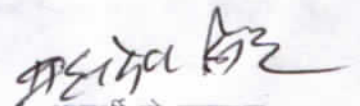
(ख) मैं इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/~~खड़ी~~ की गई हूँ।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/~~माता~~/~~पति~~ का नाम उपर हिन्दी भाषा का नाम, मैं सही रूप से लिखा गया है और

(घ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं दरभंगा स्नातक परिषद निर्वाचन क्षेत्र से बिहार (राज्य) की विधान परिषद के रिक्त स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिए किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊंगा।

तारीख 05.03.2014


अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दें।

(भाग - 2)
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

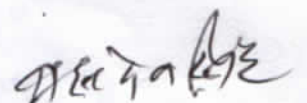
क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिये, या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए
सिद्धदोष ठहराया गया है, या हाँ/ नहीं
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष
या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक शून्य
- (ii) पुलिस थाना (थाने) शून्य जिला(जिले) शून्य राज्य शून्य
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके
(जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था शून्य
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें) शून्य
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था शून्य
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें शून्य
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) शून्य
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाईल किए गये थे : हाँ/नहीं
- (ix) फाईल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ.....
- (x) उस न्यायालय (उस न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाईल
किए गये थे शून्य
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, या वह/वे लंबित हैं
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है तो
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) शून्य
- (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) शून्य

स्थान दरभंगा
तारीख 05.03.2014


(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(भाग - 3)

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं० - 24

यह नामनिर्देशन पुस्तके/मेरे कार्यालय में 05.03.2014 तारीख, को 2.20 PM बजे,

अभ्यर्थी/प्रस्तापक श्री ए.ए. देव सिंह नाम, द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 05.03.2014

सहायक निदेशक, पशु परीक्षा,
राज्य निदेशक, पशु परीक्षा,
रिटनिंग आफिसर

आचार्य, पशु परीक्षा,
दरभंगा, पशु परीक्षा, तारीख

(भाग - 4)

नामनिर्देशन-पत्र की प्रतिगृहित या रद्द करनेवाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है

और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ -

तारीख.....

रिटनिंग आफिसर

/सिग्ना



दरभंगा जिला

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) बिहार विधान परिषद (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र भाग-क

मैं बलदेव सिंह **पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. कृष्णदेव ज्ञान सिंह आयु 51 वर्ष, जो ग्राम + पोस्ट - शालिग्रामी भागा - सोहवपुर - कमाल फीमा - वैद्यमण (डाक का

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं भारतीय जनता पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 145, सोहवपुर कमाल फीमा (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 187 के क्रम सं 551 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9431480787 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) है।

(4) मेरा बैंक खाते संख्या (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथिति

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)



1.	स्वयं	शून्य	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी	ASBP 2863K	2013-14	6707
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3			

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	सन्निवाल पुराना कास्ट 282/2000
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	147, 323, 307 भा. द. वि.
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	अपर सत्र न्यायालय द्वितीय, पटना DT. 15/01 ई. 20.6.2000
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	अपर सत्र न्या. द्वितीय, पटना
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	20.6.2000
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई	शून्य



है/हैं	
--------	--

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त)

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:- शून्य

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<u>मुख्य न्यायाधीश के पास</u> <u>20.6.2000</u> <u>सुनिश्चित कारावास 282/2000</u>
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	<u>147, 323, 307</u> <u>म.प.</u> <u>19.</u>
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	<u>शून्य</u>

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, ~~के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है~~ और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :



यदि अभिलेखी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: नहीं

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	<u>शून्य</u>
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	<u>शून्य</u>

(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष उठराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्कृत दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	50,000/-	5,000/-	शून्य	शून्य	
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसा प्रत्येक जमा में रकम	U.K. Bank Santanya A/c 30528002 A/c 204801000 -4876 Rs. 1,000/-	SB9 Samstipur A/c 30528002 -959 Rs. 2,15,430/- Central Bank Samstipur A/c 1606819822 Rs. 1,82,676 Atahabad Bank A/c 2022 A/c 17254 Rs. 47,223/-	शून्य	शून्य	
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों	SB9-L9C 2,50,000	SB9-L9C 2,50,000/-	शून्य	शून्य	

में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	PLG Samstipur Rs. 1,00,000/- L9C, Samstipur Rs. 1,01,220	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान् वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	कुल मूल्य आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे	3,61,000	10,02,769	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्कृतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	531,428	162/825	शून्य	शून्य	शून्य
	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	423 कांस्ट				
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	10 एकड़	0-2-10	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति					

	है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	अज्ञात	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	12,50,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	43,00,000/-	15,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	3824, 3831 कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	25000 मी ²	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	25,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) संख्यांक (संख्याएं)	428,423	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	900000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1,50,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य	45,25,000/-	15,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण: कृपया बैंक संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ii)	सरकारी शोध : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अतिरिक्त रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लिखित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(8) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं न्यायकार

(ख) प्रति या पत्नी शिक्षिका

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

मास्टर - सी.एन.एड. कुल शालिग्राम केरुमान 1977

अंतर्राज्य - मास्टर कलेज रायपुर 1979

स्नातक - सी.पी. कलेज रायपुर 1983

स्नातकोत्तर - सी.पी. कलेज रायपुर 1984

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम की पूर्ण प्ररूप को उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु० <u>बबडेव सिंह</u>				
2	डाक का पता	<u>ग्राम + पोस्ट - शालिग्राम</u> <u>माला - साहेवपुर मन्नाप निवा</u> <u>कुमायूँ जिला - 851217</u>				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>145 साहेवपुर मन्नाप, जिला कुमायूँ</u>				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	<u>आत्मीय जनता पार्टी</u>				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	<u>शून्य</u>				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन)	<u>शून्य</u>				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	<u>शून्य</u>				
7	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	<u>(अ) अभ्यर्थी</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>		
	(ख) पति या पत्नी	<u>BJBPK2863K</u>	<u>2013-14</u>	<u>6907</u>		
	(ग) आश्रित	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	<u>3,61,000</u>	<u>10,02,749</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>

ख	स्थायर आस्तियां				
I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	45,25,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	55,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	25,00,000/-	15,00,000/-	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	44,50,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्व	37,01,500/-	शून्य	शून्य	
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं		शून्य	शून्य	शून्य
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :	एन.ए. — बी.पी. कॉलेज ममेपुरा-1986 ए.ए.ए. — जिवन मन जिमि कॉलेज ममेपुरा-1988			



	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)
--	--

एन.ए.- लक्ष्मी प्रिय विवेक 0 दामोदर - 1988
एल.एल.बी. - शिवराज विधि महाविद्यालय, प्रमोदपुरा
सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 5.3.014 को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

Identify the deponent who has signed in my presence.

Manoj Kumar
Advocate
05/3/14



टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथारिथित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर

लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भर जाने में असाफल्य होता है तो नाम निर्देशन पत्र को संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारां 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं..... 9431480787

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है..... शून्य

मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... शून्य



लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मत में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भर जाने में असाफल्य होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारां 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 3431480787

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है शून्य

मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है शून्य

